छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक ....2....जनवरी 2020

क्रमांक एफ 20–60/2019/11/6 : राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 दिनांक 01 नवम्बर 2019 से प्रभावी की गई है। नीति की कंडिका– 15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–10 तथा परिशिष्ट–6.10 में प्रावधानित अनुसार अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत प्रदान किया जाना है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस औद्योगिक नीति की कार्यावधि में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य स्थापित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए { नीति के परिशिष्ट–4 अंतर्गत संपूर्ण राज्य हेतु संतृप्त (अपात्र) श्रेणी के उद्योगों तथा परिशिष्ट–5 अंतर्गत कोर सेक्टर उद्योगों की सूची में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन उद्योग की स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, प्रतिस्थापन तथा शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन) हेतु } आबंटित की जाने वाली भूमि पर निम्नानुसार छूट/रियायत नियम दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से लागू करता है :–

(1) इस औद्योगिक नीति की कार्यावधि में दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 के मध्य स्थापित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों की स्थापना हेतु प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। भू–भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित दर पर देय होंगे।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों की स्थापना हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट पर भूखण्ड आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु उद्योग संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस औद्योगिक नीति की कार्यावधि में विकसित एवं संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक

दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा। आरक्षण की अवधि औद्योगिक नीति की नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2015"** में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

(4) लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने हेतु अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को आबंटित भू–खण्ड पर भी कडिका–1 में वर्णित अनुसार छूट प्राप्त होगी। लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

(5) औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियों की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर की स्थापना तथा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका (21) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/घोषित, उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों की स्थापना हेतु अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को आबंटित भू–खण्ड पर भी उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त होगी।

(6) उपरोक्तानुसार छूट/रियायत निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

6.1– उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना अनिवार्य होगा।

6.2– सूक्ष्म, लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्त होने के दिनांक से 02 वर्ष एवं मध्यम उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में भू–आधिपत्य प्राप्ति से 03 के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा, परन्तु औद्योगिक इकाई के अभ्यावेदन पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015" के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

6.3– यदि छूट/रियायत दिये जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई ने उक्त छूट/रियायत गलत तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत कर प्राप्त कर ली है तो छूट/रियायत की राशि/अतिरिक्त छूट/रियायत की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य वसूल की जावेगी,

वसूली योग्य राशि औद्योगिक इकाई को प्राप्त होने वाले अन्य वित्तीय/कराधान सुविधाओं/छूट में भी समायोजित की जा सकेगी।

6.4– आवेदक इकाई को उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिये यथा स्थिति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड या मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ एक अनुबंध स्वयं के व्यय पर निष्पादित व पंजीकृत कराना होगा।

6.5– आवेदकों को भू–आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी यथास्थिति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.6– इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगी जो औद्योगिक नीति–2019–24 के **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

6.7– किसी भी विवाद पर राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग